

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु योजना मद में A& OE मद में 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति।

116  
स्वीकृत्यादेश सं०- दिनांक-17/01/19 के आलोक में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-19.01.2018 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य बिहारशरीफ शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास ओर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से बिहारशरीफ शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत व्यय हेतु भारत सरकार के पत्रांक-K-15016/136(3)2015-SC-I दिनांक-21.12.2018 द्वारा योजना मद में Administrative and Office Expenses (A&OE) मद में राशि 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) प्राप्त हुआ है, का आवंटन वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसे आवश्यकतानुसार बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी" को RTGS/PFMS द्वारा विमुक्त किया जाएगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी/एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

/s/

5. स्वीकृत राशि 5.00 करोड़ रू (पांच करोड़ रू मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0204- स्मार्ट सिटी मिशन योजना, विपत्र कोड-48-2217030510204, PFMS Code - 9478, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0204.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 320.00 करोड़ रू (तीन सौ बीस करोड़ रू मात्र) के अवशेष राशि 144.00 करोड़ (एक सौ चौवालीस करोड़ रू मात्र) में से विकनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। परन्तु राशि का व्यय बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जायेगा इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जाएगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03 / Smart City-02-05 / 2017-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

ह0/-  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-03 / Smart City-02-05 / 2017- 71

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17-01-19  
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:-

स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु योजना मद में A& OE मद में 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

पटना, दिनांक.....

आदेश:-

स्वीकृत।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-19.01.2018 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य बिहारशरीफ शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से बिहारशरीफ शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत व्यय हेतु भारत सरकार के पत्रांक-K-15016/136(3)2015-SC-I दिनांक-21.12.2018 द्वारा योजना मद में Administrative and Office Expenses (A&OE) मद में राशि 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) प्राप्त हुआ है, कि निकासी वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- स्वीकृत राशि 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसे आवश्यकतानुसार बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी को RTGS/PFMS द्वारा विमुक्त किया जाएगा।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी/एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

✓

5. स्वीकृत राशि 5.00 करोड़ रु (पांच करोड़ रु मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0204- स्मार्ट सिटी मिशन योजना, विपत्र कोड-48-2217030510204, PFMS Code - 9478, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0204.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 320.00 करोड़ रु (तीन सौ बीस करोड़ रु मात्र) के अवशेष राशि 144.00 करोड़ (एक सौ चौवालीस करोड़ रु मात्र) में से विकनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। परन्तु राशि का व्यय बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जायेगा इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जाएगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-49/टि0 पर दिनांक-14.01.2019 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-48/टि0 पर दिनांक-11.01.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03/Smart City-02-05/2017-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

/ न0 वि0 एवं आ0 वि0, पटना, दिनांक:-

ह0/-  
सरकार के विशेष सचिव। 17/01/19  
/ न0 वि0 एवं आ0 वि0, पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-03/Smart City-02-05/2017-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17-01-19  
सरकार के विशेष सचिव।